(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक /7–4/आर/726/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–8–93 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 182/92–93/अपील.

नरसिंह पिता घीसा
निवासी ग्राम खुटपल
तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
खण्डवा पूर्व निमाड़

2– रेवा पिता घीसा
निवासी ग्राम खुटपल
तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड .....अनावेदकगण

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमित कुमार, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–93 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, खण्डवा द्वारा दिनांक 20–9–89 को आदेश पारित कर आवेदक को ग्राम खुटपल का अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–12–90 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 5–5–92 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 का अस्थायी कोटवार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि स्थायी कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–8–92 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए तहसीलददार को दो माह के भीतर स्थायी कोटवार की नियुक्ति करने के आदेश दिये गये । प्रकरण प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही पश्चात दिनांक 29–3–93 को आदेश पारित कर आवेदक को ग्राम खुटपल का स्थायी कोटवार नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–6–93 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए अनावेदक कमांक 2 की नियुक्ति ग्राम कोटवार पद पर किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–8–93 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर बिना ध्यान दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा चरित्र सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 की नियुक्ति नहीं कर, आवेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर करने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अनावेदक कमांक 2 की कोटवार पद पर नियुक्ति करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विगत 8–10 वर्षों से निरन्तर कोटवार पद पर कार्य करता चला आ रहा है,

इसलिए आवेदक को कोटवार के कार्य का अनुभव है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के प्रकरण कमांक 11/अ–56/88–89 आदेश दिनांक 12–8–93 द्वारा अनावेदक को स्थायी कोटवार नियुक्त किया गया था एवं उसके द्वारा वर्ष 2014 तक निरन्तर कोटवार पद पर कार्य किया गया है ।

(2) अनावेदक के वृद्धावस्था एवं बीमारी के कारण उसके द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर प्रकरण कमांक 1/अ–56/2013–14 आदेश दिनांक 11–4–14 द्वारा उसका पुत्र अनिल कोटवार पद पर कार्य कर रहा है ।

(3) आवेदक की आयु 70 वर्ष हो चुकी है, इसलिए आयु की अयोग्यता के कारण यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य यह निगरानी वर्ष 1993 से विचाराधीन है और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अनावेदक कमांक 2 का पुत्र कोटवार नियुक्त हो चुका है, अतः समय के साथ अब यह निगरानी निरर्थक हो गयी है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विधि संगत निष्कर्ष निकालते हुए अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी के विधि संगत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

> ''धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।''

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित विधि संगत आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–93 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर